


22-12-22


पत्रावली चौगा अधिवक्ता पक्षकारान  
उपस्थित। <sup>अभि:</sup> छापीने पुनः वाद पैरा करणे  
के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए  
पत्रावली में Not pres किया। अतः  
पत्रावली Not pres किए जाने के खामी  
की जाती है।

पत्रावली फैसला शुभ्राट होकर  
द्वेज नम्बर के कथ की पावर वाचिबल  
पम्पाट है।

  
सहायक कलेक्टर  
(S. D. O.) रेवदा

4

पुनः पैरा को के  
अधिकार के सुरक्षित  
रखते हुए Not  
pres बना जाकर  
है।

गंगासिंह  
  
(पक्षकार)